पुजारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पावटा। पुजारी सेवक महासंघ पावटा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उसमें राज्य सरकार द्वारा पुजारियों की विभिन्न मांगों को पूरी करने की बात कही गई है। पुजारी सेवक महासंघ पावटा अध्यक्ष पंडित सोहनलाल शर्मा पुजारी झीडा वाले बालाजी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय को ज्ञापन सौंप कर पुजारियों की विभिन्न मांगों को राज्य सरकार द्वारा पूरी करने की मांग की। जिसके अंतर्गत पुजारी प्रोटक्शन बिल अति शीघ्र लागू करने, कृषकों के समान पुजारी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने।

विधिक सलाहकार नियुक्त

सांभरझील, (निसं)। स्वायत शासन विभाग निदेशालय ने एक आदेश जारी कर स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकृति के विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु विधिक सलाहकारों को नियुक्त किया। इसके अंतर्गत सांभर नगरपालिका में एडवोकेट दिव्य राजवीर गुर्जर, फुलेरा में एडवोकेट दीपक कुमावत व नरेंद्र मोहन साहू, दूदू नगरपालिका में एडवोकेट गजेंद्र वधाला व सुनील कुमार जोशी, जोबनेर नगरपालिका में एडवोकेट वीरेंद्र मीणा व राजशेखर पारीक तथा इसी प्रकार नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल में श्रवण लाल कुमावत को नियुक्त किया है।

वृक्ष मनुष्य के लिए वरदान : विधायक रामसहाय वर्मा

निवाई। नगरपालिका के तत्वावधान में मालियों के मोहल्ले में स्थित भरकुआ तालाब पार्क में 15 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ।

समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा व अध्यक्षता कर रहे उपखंड अधिकारी अनिता खटीक ने पौधारोपण करके

- अभियान का शुभारंभ पौधा रोपण कर किया

किया। मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक देशवासियों को आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार की इस नई पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर अठासर है। उन्होंने कहा कि वृक्षों की कमी से तापमान में बढोतरी हो रही है। वातावरण का संतुलन बाए रखनं के लिए पौधे लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृक्ष मनुष्य के लिए वरदान होते हैं। प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वज पेडों की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इसीलिए हमें वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए।

जिससे आने वाली भावी पीढी को शुद्ध वातारण मिले। अध्यक्षता कर रहे उपखंड अधिकारी अनिता खटीक ने मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन को जन जन को वंदे, गंगा व जल संरक्षण का संकल्प दिलवाया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 20 जून तक संचालित होगा। कार्यक्रम का संचालन कवि रमेश घायल द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भरकुआ तालाब के आस-पास के क्षेत्र की साफ-सफाई की एवं पौधा रोपण किया। इस अवसर पर अधिशाषी अधिकारी मनोहरलाल जाट, भाजपा शहर अध्यक्ष नितिन छाबडा, नटवाडा मंडल अध्यक्ष बद्री विजय, अरनिया मंडल अध्यक्ष शिवराज गुर्जर, डांगरथल मंडल अध्यक्ष केदार चौधरी सुनारा, हनुमान गुर्जर रजवास, पार्षद मोला सैन, डीआर ममता जाट, पूर्व प्रधान ममता चौधरी, विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव, बीईईओ मंजू मीणा, एबीईईओ रमेश विजय, प्रधानाचार्य देवेन्द्रपालसिंह चौधरी, सीडीपीओ संगीता दीपक, पर्यवेक्षक अनुजा शर्मा, सहायक अभियंता चन्द्रप्रकाश मीणा, कनिष्ट अभियंता चन्द्रप्रकाश चौधरी, कनिष्ट अभियंता पप्पूलाल मीणा, हनुमान गुर्जर, बाबूलाल पण्डा, रोडूमल सैनी, अग्निश्मन प्रभारी हनुमानप्रसाद गुर्जर, अजय यादव, सुरेश मीणा, निशांत जैन, पवनकुमार वर्मा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

निवाई में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में कार्मिकों ने शपथ ली।

कोटपूतली में सिविल न्यायाधीश की नियुक्ति

कोटपूतली। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले के जिला मुख्यालय कोटपूतली में जिला एवं सत्र न्यायालय (डीजे कोर्ट) एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सीजेएम कोर्ट) का गठन करते हुये इन्हें खोले जाने की स्वीकृति जारी की थी। इसी क्रम में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर द्वारा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आदेशानुसार कोटपूतली में एडीजे क्रम 01 राजेश कुमार को नवगठित जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटपूतली का जिला जज नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार एसीजेएम क्रम 02 डॉ. अजय कुमार विश्नोई को वरिष्ठ सिविल न्यायालय (सीजेएम कोर्ट) में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का दायित्व सौंपा गया है।

किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया

पावटा। गुरुवार को ग्राम पंचायत फतेहपुरा खुर्द, टसकोला, भोनावास में कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा एवं कृषि विभाग कोटपुतली के तत्वाधान में ग्राम पंचायत सरपंच प्रकाशचंद व एवं भोनावास सरपंच प्रतिनिधि संदीप सिंह की अध्यक्षता में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा किसानों को खेती से संबंधित एवं विभागीय योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. राम प्रताप यादव ने खरीफ फसलों की उन्नत खेती, किस्मे, बीजोपचार, कीट एवं रोगों के नियंत्रण के बारे में विस्तार से चर्चा की। वही किसानों को मिट्टी की जांच करवाकर खाद्य एवं उर्वरक प्रयोग करने की सलाह दी। साथ ही जल संरक्षण की विधियो पर प्रकाश डाला। उन्होंने खेत का पानी खेत में संचय करने को कहा।

कार्यालय नगर परिषद शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण
Phone No. 01422-272066
Email Id. shahpura.jaipur@gmail.com
क्रमांक :- न.प.शा./2025-26/40 दिनांक :- 26.05.2025
विज्ञप्ति
श्री महेश चन्द गुर्जर पुत्र श्री श्रवण कुमार गुर्जर पता इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, शाहपुरा जयपुर 266.66 वर्ग गज में से 133.33 वर्ग गज का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विखंडन करवाने के लिए इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-
क्र.सं. : 1., आवेदक का नाम व पता : श्री महेश चन्द गुर्जर पुत्र श्री श्रवण कुमार गुर्जर, मूल आवंटी का नाम : मीना देवी शर्मा पत्नी श्री घनश्याम शर्मा, हस्तांतरण की श्रेणी : जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, क्षेत्रफल (वर्ग गज) : 266.66 वर्ग गज में से 133.33 वर्ग गज, स्थान : इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी शाहपुरा, जयपुर
अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लिखित रूप से अंदर अवधि 07 दिवस में प्रस्तुत कर दें। बाद गुजरने मयाद किसी की भी कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
आयुक्त, नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर

आम-सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण शंकरलाल मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, राधा देवी पत्नी शंकरलाल मीणा, निवासी- ए-27, बारह मील, नाटावाला, सीतापुरा, बीलवा कलां, सांगानेर, जयपुर का है मेरे अभिभाष्य का पुत्र राजेन्द्र कुमार, पुत्रवधु पप्पी देवी, पौत्री कोमल, जो मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है। इनका संव्यवहार, लेन-देन सही नहीं है। मेरे अभिभाष्यगण अपने पुत्र राजेन्द्र कुमार व अन्य को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है। भविष्य में राजेन्द्र कुमार व अन्य आज दिनांक के बाद कोई भी लेन-देन व संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद करते हैं तो मेरे अभिभाष्यगण का कोई लेना-देना व जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
जयपुर दिनांक : 5-6-25 भवदीय (राजेन्द्र बैंसला) एडवोकेट

खोया-पाया
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि RHB की प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में प्लॉट नंबर 50/22 का अलॉटमेंट लेटर (1176 दिनांक 25.06.1996) जो ओटा राम मीणा पुत्र चोपा राम मीणा के नाम है वो खो गया है जिसकी रिपोर्ट LR no. 2784539/2025 दर्ज करा दी गई है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में ओटा राम मीणा पुत्र चोपा राम मीणा ने SBI में लोन हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में संपर्क करें।
ओटा राम मीणा 9413301020

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल सईद सैफी पुत्र गुलाम रसूल नि-46, जेडीए क्वार्टर, सूरजपोल अनाज मंडी, जयपुर का पुत्र शोएब सैफी मेरे मुवक्किल के कहे में नहीं है और मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका पुत्र व बहु छोटी-छोटी बातों को लेकर गाली गलौच व झगड़ा करते है तथा जिस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है और मेरे मुवक्किल के पुत्र व बहु से सभी संबंध समाप्त कर दिये है, जो कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किल के पुत्र शोएब सैफी व बहु से किसी भी तरह का सनव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।
दिनांक : 5.6.25 (मोई खान), एडवोकेट मो. नं. 7568474550

प्रपत्र संख्या
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/376
चूंकि प्रार्थी श्री Deepak Das swami, devguda Tehsil Jalsu Jila Jaipur ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम SANT SHREE DADUDAYAL, DEVGUDA TESHIL JALSU JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06-08-2025
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 09/25
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी - नाम चन्दन कुमार पुत्र स्व. श्री शिव पासवान जाति पासवान
विवाद स्थान भारतीय खाद्य निगम, डिवीजन ऑफिस, मालवीय नगर विस्तार की मॉडल टाउन, जयपुर
मृतक - सम्पत्ति, पेंशन FIF,(09-7-25) PF, Bank Account की सम्पत्ति के विषय में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी, प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. श्रीमती शकीला देवी पत्नी स्व. श्री शिव पासवान जाति पासवान निवासी स्कूल के पास रेलवे कालोनी, कुतलपुरा जाटान (ग्रामीण) सवाईमाधोपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 09 माह 07 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 17/03/2025 सन् को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
शस्तिदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम
मोहर अदालत

तृतीय पुण्यतिथि

स्व. श्रीमती तारा पाठक
(धर्मपत्नी स्व. डॉ. विष्णु चंद्र पाठक)
आपका स्नेह, सरल स्वभाव, अपनत्व, विनम्रता, परोपकार की भावना हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणा स्त्रोत रहेगी।
06.06.2022 श्रद्धावनत
डॉ. मनुशरद पाठक-डॉ. शचि पाठक, रघुशरद पाठक-डॉ. श्रेष्ठा पाठक (पुत्र-पुत्रवधू), विभु, भृगु, विधु, वासु तथा उत्सव (पौत्र)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'पर्यावरण की रक्षा एक जिम्मेदारी है'

निवाई । विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेक जगह पौधारोपण किया गया। पर्यावरण की रक्षा कोई विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। यह संदेश देने के लिए शिक्षकों के एक दल ने गुरुवार को विद्या भारती संस्थान के विद्यालय परिसर में एक पौधा लगाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गोविंद नारायण शर्मा ने कहा कि प्रकृति पर अपनी छाप छोड़िए, एक पेड़ जरूर लगाइए। इससे नई पीढ़ी के लिए यह एक अमूल्य तोहफा होगा और आपकी पहचान भी बनेगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए उसके हाथ से एक पौधा अवश्य लगवाएं। इस अवसर पर सहायक प्रधानाचार्य पंडित मोहनलाल शास्त्री, सीताराम महावर व राधेश्याम बारेठ सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

वंदे गंगा-जल संरक्षण जन अभियान का विधिवत शुभारंभ, जल संरक्षण की शपथ ली

टोंक। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशमी पर जिलेभर में वंदे गंगा-जल संरक्षण जन अभियान का आगाज गुरुवार को चतुर्भुज तालाब पर विधिवत रूप से अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ किया। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर से चतुर्भुज तालाब तक बैंड बाजे के साथ निकाली गई विशाल कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही।

इस अवसर पर जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि हमारी धरती पंचतत्वों से मिलकर बनी है, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इन पंचतत्वों को सम्मान कर धरती को प्रदूषित नहीं करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए बेहद जरूरी है, जल है तो कल है इस बात को दर्शाता है कि धरती पर सभी के जीवन के अस्तित्व के लिए जल कितना जरूरी है।

- कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही

इस दौरान देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में शुरू हुए इस अभियान को आवश्यक बताया और कहा कि इससे जल संरक्षण के प्रति व्यापक चेतना का संचार होगा। उन्होंने इसे जन अभियान बनाने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि हमें अपने प्राचीन जल स्त्रोतों को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढियों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पडे। इसी प्रकार निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा ने जल संरक्षण जन अभियान की संकल्प की शपथ दिलाई। साथ ही, कहा कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण, हरियालों राजस्थान, स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में सभी आमजन अपनी भागीदारी निभाएं।

इस अवसर पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि आने वाले दिनों में वे चतुर्भुज तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, ताकि इस तालाब की सुंदरता को और अधिक बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने लोगों को दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जल संकट को कम करने के लिए लोगों को जल संरक्षण के महत्व को समझना होगा।

नाम परिवर्तन
मैंने मेरा नाम नितिन कुमार निवासी ए-25 गीता बाड़ी जामडोली जयपुर, से बदलकर नितिन जांगिड़ कर लिया है अभी की आईडी के अनुसार भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।
I, Kuldeep Nimbal S/o Hanuman Prasad R/o 1662, D Gali No-8, Rampura Ward No-28, Rampura Bas, Bikaner, Rajasthan-334004, hereby undertake that I, Kuldeep Nimbal want to change my name to Shivanya Nimbal and Gender as FEMALE

खोया-पाया
हमारी कम्पनी मैसर्स सियाराम नेचर एग्रो फार्म प्रा.लि. जयपुर के ग्राम खो रेवारियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर के परिवर्तित खसरा नंबर 101/1 का मूल इकरारनामा दिनांकित 05.12.2004 जिसमें विक्रेतागण श्रीमती निर्मल मल्होत्रा एवं श्रीमती जया पंचैली है जिसके कागजात कहीं गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करे राघव कट्टा मोबाइल 9928588030
मेरा मकान सं. 50/250, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल नियमितिकरण एवम् अदेय प्रमाण पत्र, व नियमितिकरण फार्म रसीद कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर संपर्क करें :- रामगोपाल यादव 9828114017
आवास संख्या 31/55/04 मानसरोवर जयपुर का मूल आवंटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करे। कुसुम प्रजापत मो. 8949463592
जेडीए की योजना ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर में स्थित आवासीय भूखंड संख्या सी-289 का ओरिजनल जेडीए पट्टा, साईज प्लान मय स्टाम्प पेपर कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें।
कौशल्या देवी - 8824231643

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
-: आवश्यक सूचना :-
आवास संख्या 5/2, एन.ई.बी.82 योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र गोपीचन्द शर्मा को आवंटन पत्रांक 10849 दिनांक 26.02.1988 के द्वारा आवंटित किया गया था। मंडल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 820 दिनांक 22.05.1990 को श्री अशोक कुमार शर्मा पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम दिनांक 23.08.1991 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। अशोक कुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17.09.1994 को गंगाशरण शर्मा पुत्र पं. मदन मोहन शर्मा को कर दिया गया। श्री गंगाशरण शर्मा की मृत्यु दिनांक 12.12.1997 को एवं श्री गंगाशरण शर्मा की एक अन्य पुत्री श्रीमती मीनाक्षी भारद्वाज पत्नि विश्वास भारद्वाज की मृत्यु दिनांक 13.05.2021 को हो जाने के उपरांत स्व. श्री गंगाशरण शर्मा उत्तराधिकारी पुत्रों श्री महेश कुमार शर्मा व श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत हकत्याग (रिलीजडीड) दिनांक 24.01.2025 व मण्डल नियमानुसार पस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार 2 उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त संयुक्त नाम से प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञिप्त यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 5/2, एन.ई.बी. योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एंव आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञिप्त के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री महेश कुमार शर्मा व श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्रान स्व. श्री गंगाशरण शर्मा के पक्ष में आवास का संयुक्त नाम से मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

जिला प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में जल संरक्षण अभियान शुरु

कोटपूतली । राज्य सरकार के निर्देशानुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन प्रदेशभर सहित जिला स्तर पर 5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन एवं अभियान का शुभारम्भ राज्य मंत्री, राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार (5 जून) को प्रात 11 बजे कोटपूतली के सांगटेडा स्थित पीला जोहड पर आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रभारी सचिव एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड ओम प्रकाश कसेरा, जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल, उपखंड अधिकारी कोटपुतली एवं सम्पूर्ण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी बृजेश कुमार चौधरी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी व आमजन ने कार्यक्रम स्थल पर सहभागिता दिखाई।

गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन, जल स्त्रोत पूजन, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों पर साफ सफाई, कलश यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, साथ ही विभिन्न स्थानों पर वंदे गंगा आमुखीकरण कार्यशाला व सांस्कृतिक संध्या, नर्सरियों का विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, तुलसी पौधा वितरण, लवकुश वाटिका पर कार्यक्रम, हरियालो राजस्थान हेतु पूर्व तैयारी, नेचर वाक, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतियोगिताएं एवं बाल सभा व वंदे गंगा प्रभात फेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल स्त्रोतों की साफ-सफाई एवं मरम्मत, रैली एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन सायं 7 बजे से सरदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपुतली में किया गया।

गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा

कोटपूतली। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बनका स्थित भगवान श्री देवनारायण मंदिर का वार्षिकोत्सव समारोह बुधवार को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर 500 महिलाओं द्वारा गांव के विभिन्न मुख्य मार्गो से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर विशाल भण्डारे का आयोजन हुआ। जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालूओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में इन्द्राज म्हासी चिमनपुरा व रामसिंह म्हासी चोटक्या आदि कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर श्री देव नारायण सेवा समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

अजीतगढ़ की एग्रीबायोटेक फैक्ट्री 20 हजार पौधे लगाएगी

श्रीमाधोपुर । अजीतगढ पर्यावरण संरक्षण को बढावा देने एवं प्रदूषण विभाग सीकर से प्रोत्साहित होकर अजीतगढ़ की एग्रीबायोटेक फैक्ट्री ने 20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को फैक्ट्री परिसर व आसपास में 511 पौधे लगाकर अभियान का आगाज किया गया। सहायक महाप्रबंधक पीके सिंह ने संवाददाता को बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरुरी है ,बारिश के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट अनिल सेठ ने कहा कि पेडों से हमें प्राणवायु मिलती है इसलिए पेड लगाकर उनकी नियमित सार-संभाल की हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एवीपी श्रीपाल सिंह ने बताया कि फैक्ट्री की ओर से अजीतगढ़ ब्लाक की सरकारी स्कूलों में पौधे वितरित किए जाएंगे।

फैक्ट्री की ओर से अजीतगढ़ ब्लाक की सरकारी स्कूलों में पौधे वितरित किए जाएंगे।

- विश्व पर्यावरण दिवस पर 511 पौधे लगाकर अभियान का किया आगाज
- अजीतगढ़ ब्लाक की सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करवाएंगे पौधे

बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान
BOARD OF INDIAN MEDICINE RAJASTHAN
(E-1, Near Mahaveer Udhan, Bajaj Nagar, Jaipur-302015)
सूचना
डॉ. मौहम्मद अकरम पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री हसमत अली का पंजीयन पत्र क्रमांक 1142 नष्ट/गुम हो जाने के कारण डुप्लीकेट पंजीयन पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी को उक्त पंजीयन पर आपत्ति हो तो बोर्ड कार्यालय को 15 दिन में सूचित करें अन्यथा डुप्लीकेट पंजीयन पत्र जारी कर दिया जावेगा।
रजिस्ट्रार, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अजीज मोहम्मद पुत्र श्री बशीर अहमद निवासी डी-57, क्रीशम कॉलोनी, रामसिंहपुरा बास, सांगानेर, जयपुर राजस्थान के भाई मोहम्मद पुत्र बशीर अहमद के नाम दर्ज प्लॉट संख्या ए-57-डी जिसका कुल क्षेत्रफल 75 वर्गगज जिसकी चौमाईश पूर्व मे पश्चिम 30 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 22.5 फीट जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अन्य का प्लॉट, पश्चिम में कॉलोनी रोड 30 फीट चौडी, उत्तर में कॉलोनी रोड 25 फीट चौडी, दक्षिण की ओर प्लॉट संख्या बी-57-डी स्थित है। उक्त प्लॉट को मेरे अभिभाष्य व उसके भाई मोहम्मद रफीक ने मिलकर अपनी स्वअर्जित आय से खरीद कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मोहम्मद रफीक के नाम तस्दीक करवाया था जिसमें मेरे अभिभाष्य 1/2 हक व हिस्सा निहित है जिसके संबंध में दस्तावेज मेरे अभिभाष्य के पास मौजूद है, मेरे अभिभाष्य को उक्त प्लॉट में उसके हिस्से से वंचित करने के उद्देश्य से मोहम्मद रफीक उक्त वर्णित सम्पति को मेरे अभिभाष्य की सहमति व जानकारी के बिना बईमानी व धोखाधडीपूर्ण तरीके से खुर्द बुर्द बैचान करने की फिराक में है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/बैंक/वित्तीय संस्था/संगठन/सरकारी,अर्धसरकारी महकमा मेरे अभिभाष्य की सहमति व उसे लिखित सूचना दिये बिना उक्त वर्णित सम्पति के बारे में किसी तरह का कोई संव्यवहार खरीद, बैचान, रहन, बैय, बन्धशीस आदि करता है तो ऐसा समस्त संव्यवहार शून्य व निष्प्रभावी होकर अपराध माना जावेगा तथा मेरे अभिभाष्य द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों व हर्जे खर्चे आदि का स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
भवदीय जावेद अली (एडवोकेट) राज.उच्च न्यायालय मो. 9001725554

सार्वजनिक सूचना नगर निगम, जयपुर, हैरिटेज
क्र.-एफ-6( ) उपा.लैण्ड(मा.प्र.)/ नॉनज./ 2025 /349 दि.- 04.06.25
मूल भूखण्ड संख्या बी-3, अर्जुनलाल सेठी योजना, सेठी कॉलोनी, जयपुर का नगर विकास न्यास द्वारा श्री आर. के. पुरोहित पुत्र श्री टिकम दास पुरोहित के नाम से क्षेत्रफल 388.88 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रजिस्टर्ड बंटावारनामा, रजिस्टर्ड वसीयतनामा अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम जयपुर हैरिटे